**कब्जे के लिए और स्थाई/आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु वाद**

**(Suit for possession and permanent/mandatory injuction)**

न्यायालय............

वाद नंबर ............ सन् .....

अ० ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी

वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि उपरोक्त वादी, मकान का स्वामी है। कथित मकान पर वर्तमान में प्रतिवादी का अपराधिक अतिक्रमण व बलपूर्वक कब्जा है जिसके कारण वर्तमान वाद कब्जे और स्थाई। आदेशात्मक व्यादेश के लिए दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
2. यह कि प्रश्नगत सम्पत्ति में चार दीवारी से घिरे हुए 200 वर्ग गज के प्लाट में खुले स्थान के अतिरिक्त प्रारम्भ में एक कमरा था । उक्त सम्पत्ति ............ क्षेत्र में स्थित है जो एक संगठित और उपनगरीय कालोनी का भाग है । प्रतिवादी श्री ........... द्वारा दिनांक ............. करें बदनियाते से और बिना कानूनी मालिक की अनुमति लिए अथवा बिना जानकारी अथवा बिना अधिकृत किये) अपराधिक अतिक्रमण करने के वाद एक और अस्थाई कमरे का निर्माण कर लिया है और एक शैड भी बना लिया है जो वादी की विनम्र राय में खण्डित करने योग्य है। यह निर्माण कार्य भी ऐसे डिजाइन से अतिभ्रम उत्पन्न करने के इरादे से पूरी सम्पत्ति पर अपना अधिकार करने के उद्देश्य से अपराधिक अतिक्रमण करने के बाद केवल जिसकी लाठी भैंस उसी की, वाला सूत्र अपना कर और कानून के शासन को तोडकर किया गया है। यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि अचल सम्पत्ति को जैसे एक प्रकार से हड़प लिया गया है और चल सम्पत्ति को चोरी और धोखाधड़ी के तरीके से ले गया है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित है परन्तु ऐसा साहसिक हमला किसी की सम्पत्ति को हजम करने का किसी सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता जो कि अपने आप को कानून के शासन के सख्त अनुपालन को बनाये रखता है का समर्थन करता है ।
3. यह कि यह सम्पत्ति पूर्व में ग्राम ............ स्थित ............ के खसरा नंबर का भाग थी और उक्त सम्पत्ति जो यहाँ वाद में वाद सम्पत्ति कहलायेगी का हदुदर्वा निम्न प्रकार है।

पूर्व ............. पश्चिम ............ उत्तर ............ दक्षिण ........ (यहाँ पर अन्य तथ्य दर्ज किये जायें)

1. यह कि विक्रय अनबन्ध तथा जनरल पावर आफ अटार्नी, शपथपत्र और धन प्राप्त की रसीट के माध्यम से यह खरीदारी की गई थी जिसके साथ साथ रचनात्मक कब्जा भी वाद सम्पत्ति का आर भौतिक मालकाना अधिकार भी प्राप्त किये गये थे जिसमें सम्पत्ति के सभी मालिकों जो भी समय-समय पर रहे हों और इसके अलावा भी तयशुदा सम्पूर्ण धनराशि अंकन स० दिनांक..........को भगतान कर दी गई थी जो सब कुछ इस बात को साबित करता है कि यह मिलकियत का पर्ण रूपेण अंतरण था जो हर हाल में बादी के हक में था केवल औपचारिक विक्रय पत्र (बैनामे) को छोडकर । वादी नियमित विक्रय पत्र भी अपने हक में करा सकता था परन्त इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।
2. यह कि प्रतिवादी श्री ............ शान्तिपूर्ण खाली कब्ज़ा विवादित संपत्ति का वादी को देने के लिए उत्तरदायी है। वह एक अपराधिक अतिक्रमण करने वाला है जो कि अनाधिक धोखाधड़ी और बदनियति के आधार पर किये हुए है । वादी मालिक होने के कारण अपना लाभ हित लाभ रखता है जिसके द्वारा सम्पत्ति के क्रय किये जाने के कारण सम्पूर्ण मूल्य चुका रखा है।
3. यह कि वादी के हित में और प्रतिवादी के विरुद्ध 'तब वाद हेतुक प्रथम बार' तब दिनांक ............ को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया और गलत प्रकार से कब्जा लिया और उसके बाद दिनोदिन बराबर उसे बनाये रखा गया। 'वाद हेतुक' दिनांक...... को भी तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी द्वारा बाद में अनाधिकृत निर्माण कार्य कराया गया। 'वाद हेतुक' दिनांक ............ को भी तब उत्पन्न हुआ जब यह क्षेत्र शहरी क्षेत्र घोषित होने की विज्ञप्ति हुई थी। ये सभी ‘वाद हेतुक' जारी हैं और अभी तक विद्यमान हैं।
4. यह कि यह मान्य न्यायालय वाद की सुनवाई करने हेत् कार्य क्षेत्र रखती है और इस कारण भी कि सम्पत्ति ............ में स्थित है और प्रतिवादी भी ............ में निवास करता है।
5. यह कि सम्पत्ति की बाजारी कीमत रु० ............. है जो कि कब्जे के लिए अनुतोष का भी मूल्य है। न्याय शुल्क अधिनियम के प्राविधान के अनुसार अनुतोष के लिए कीमत प्रार्थना के अनुसार स्थाई और आदेशात्मक निषेधाज्ञा के लिए रु० ............. निश्चित है और उचित न्याय शुल्क पृथक से अदा की गई है।

**प्रार्थना**

इसलिए अत्यन्त विनयपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह मान्य न्यायालय वादी के हित में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न प्रकार डिक्री पारित करने की कृपा करें।

(क) मकान नंबर ............ जिसकी सीमायें संलग्न नक्शा नजरी में लाल रंग से मार्क का गई हे का कब्जा वादी को दिलाया जाये।

(ख) प्रतिवादी उनके प्रतिनिधियों, ऐजेन्टस, अटार्नीस, ग्रहीताओंहस्तान्तरकोआ कर्मचारी गणों और अन्य जो कोई उनके लिए अथवा उनके माध्यम से कार्य करे जो मकान का ..........में परिवर्तन करने अथवा उनको मालकाना हैसियत में बताये अथवा कोई कानूना हास रखे किसी भी प्रकार से किसी सौदे के करने अथवा बातचीत करने जो बिना प्रतिफल अथवा जा सहित हो किसी के साथ भी उक्त वाद सम्पत्ति के विषय में और बाधा उत्पन्न ना कर, रुका डाले अथवा किसी भी रूप में अडचन ना डाले उसके प्रयोग अथवा वादी को मालिकाना हा में अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो वादी की मारफत दावा करे को बाध्य करने हेत प्रतिवादा का आदेशात्मक/स्थाई निषेधात्मक आज्ञा जारी करें।

(ग) वाद के सम्बन्ध में सभी कानूनी हजे, खर्चों को दिलाया जाये।

(घ) इस मान्य न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री अथवा आदेश के पालनार्थ उचित और प्रभावी

पुलिस बल की स्वीकृति प्रदान की जाये।

(च) ऐसे आदेश जिन्हें यह मान्य न्यायालय उचित और पर्याप्त माने पारित किया जाये।

**स्थान ............ दिनांक ............ वादी**

**द्वारा अधिवक्ता ...**

**सत्यापन**

में कि ............आज दिनांक ............दिन ............स्थान....... ............ पर यह सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र के पैरा नं०............ से............ तक मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा पेरा न० ............. कानूनी सलाह के आधार पर मेरे विश्वास में सत्य हैं।

**.........वादी**